# सरकारी मंज़ूरी का मतलब अभयदान नहीं

हाल ही में यू.एस. सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसका दूरगामी असर होने की संभावना है। मामला यह था कि वर्ष 2000 में वरमॉन्ट निवासी एक संगीतकार डायना लेवीन को मितली के लिए फेनारगन नामक दवा का एक इंजेक्शन दिया गया था। यह दवा आम तौर पर खून की शिराओं में दी जाती है। यदि गलती से धमनी में इसका इंजेक्शन दे दिया जाए, तो यह गैंगरीन का कारण बन सकती है। लेवीन के मामले में यही हुआ था।

लेवीन ने फेनारगन की निर्माता दवा कंपनी व्येथ के खिलाफ मुकदमा ठोंक दिया। लेवीन का कहना था कि दवा कंपनी ने उक्त दवा के खतरों के प्रति आगाह करने हेतु पर्याप्त जानकारी नहीं दी थी। व्येथ ने अपने बचाव में कहा कि फेनारगन को यू.एस. के खाद्य व औषधि प्रशासन की मंज़ूरी प्राप्त है और इस मंज़ूरी का मतलब है कि उस दवा पर दिए गए लेबल और जानकारी को भी प्रशासन की मंज़ूरी है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और व्येथ के विरुद्ध फैसला सुनाया। कोर्ट ने व्येथ को निर्देश दिया है कि वह लेवीन को 67 लाख डॉलर का मुआवज़ा दे।

वकीलों का कहना है कि इस फैसले का अर्थ यही निकलता है कि सिर्फ सरकारी मंज़ूरी मिल जाने से दवा कंपनियों को किसी तरह का अभयदान मिल गया नहीं माना जा सकता। वैसे भी यदि कोर्ट कोई और फैसला देता तो इसका अर्थ यही निकाला जाता कि एक बार सरकारी मंज़ूरी मिल जाए तो कंपनी की जवाबदेही खत्म हो जाती है। वैसे भी कंपनियां खाद्य व औषधि प्रशासन को किसी दवा के सारे खतरों की सूचना नहीं देती हैं। इस फैसले को मरीज़ों के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। ***(स्रोत फीचर्स)***